संख्या–419/26–2–2017–4(वि0)/2017

प्रेषक,

सुधा श्रीवास्तव,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग–2 लखनऊः दिनांक 27 अप्रैल, 2017

विषय:– रिट याचिका संख्या–64273/2011 श्रवण कुमार व अन्य बनाम् उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय के पारित आदेश दिनांक 05.01.2012 के कम में समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदानित अनुसूचित जाति प्रा0 विद्यालयों के अप्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा बी0टी0सी0 प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त प्रशिक्षित वेतनमान दिलाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–1356/स0क0/शिक्षा–ब/प्रा0पा0/2016–17, दिनांक 24.03.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदानित प्राइमरी पाठशालाओं में कार्यरत अप्रशिक्षित अध्यापकों को द्विवर्षीय पत्राचार बी0टी0सी0 प्रशिक्षण पूर्ण कर लिये जाने पर जनपद देवरिया के 04, कुशीनगर के 01 एवं आजमगढ़ के 11 अप्रशिक्षित अध्यापकों को प्रशिक्षण पूर्ण किये जाने की तिथि से प्रशिक्षित वेतनमान दिये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव में से जनपद आजमगढ़ के प्रा0वि0अनु0क0प्रा0पा0, बजीरमलपुर के अध्यापक श्री सुभाष चन्द्र एवं डा0 भीमराव अम्बेडकर प्रा0पा0 मुकुन्दग्राम के अध्यापक श्री मनोज कुमार का प्रमाण–पत्र जिला समाज कल्याण अधिकारी, आजमगढ़ द्वारा वेरीफाई नहीं है। उक्त के अतिरिक्त जनपद आजमगढ़ के प्रा0वि0 अम्बे0 बाल शिक्षा निकेतन पाही, सठियॉव के अध्यापक श्री विनोद कुमार सिंह के प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र में प्रशिक्षण पूर्ण किये जाने की तिथि 09.07.2016 अंकित है, जबकि आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के साथ संलग्न श्री सिंह के प्रमाण–पत्र में निर्गत होने की तिथि 21.11.2016 अंकित है तथा जनपद–आजमगढ़ के ही प्रा0वि0 बाल विद्या मन्दिर, मेहनगर में अध्यापक श्री सतीश चन्द्र का प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं है, को छोड़कर शेष अध्यापकों को प्रशिक्षित वेतनमान दिये जाने के प्रस्ताव पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त् निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित अप्रशिक्षित अध्यापकों जिन्होंने द्विवषीय पत्राचार बी0टी0सी0 प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया है, को प्रमाण–पत्र

Sushil GO

संख्या–419/26–2–2017–4(वि0)/2017

प्रेषक,

सुधा श्रीवास्तव,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग–2 लखनऊः दिनांक 27 अप्रैल, 2017

विषयः– रिट याचिका संख्या–64273/2011 श्रवण कुमार व अन्य बनाम् उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय के पारित आदेश दिनांक 05.01.2012 के क्रम में समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदानित अनुसूचित जाति प्रा0 विद्यालयों के अप्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा बी0टी0सी0 प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त प्रशिक्षित वेतनमान दिलाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–1356/स0क0/शिक्षा–ब/प्रा0पा0/2016–17, दिनांक 24.03.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदानित प्राइमरी पाठशालाओं में कार्यरत अप्रशिक्षित अध्यापकों को द्विवर्षीय पत्राचार बी0टी0सी0 प्रशिक्षण पूर्ण कर लिये जाने पर जनपद देवरिया के 04, कुशीनगर के 01 एवं आजमगढ़ के 11 अप्रशिक्षित अध्यापकों को प्रशिक्षण पूर्ण किये जाने की तिथि से प्रशिक्षित वेतनमान दिये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव में से जनपद आजमगढ़ के प्रा0वि0अनु0क0प्रा0पा0, बजीरमलपुर के अध्यापक श्री सुभाष चन्द्र एवं डा0 भीमराव अम्बेडकर प्रा0पा0 मुकुन्दग्राम के अध्यापक श्री मनोज कुमार का प्रमाण–पत्र जिला समाज कल्याण अधिकारी, आजमगढ़ द्वारा वेरीफाई नहीं है। उक्त के अतिरिक्त जनपद आजमगढ़ के प्रा0वि0 अम्बे0 बाल शिक्षा निकेतन पाही, सठियॉव के अध्यापक श्री विनोद कुमार सिंह के प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र में प्रशिक्षण पूर्ण किये जाने की तिथि 09.07.2016 अंकित है, जबकि आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के साथ संलग्न श्री सिंह के प्रमाण–पत्र में निर्गत होने की तिथि 21.11.2016 अंकित है तथा जनपद–आजमगढ़ के ही प्रा0वि0 बाल विद्या मन्दिर, मेहनगर में अध्यापक श्री सतीश चन्द्र का प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं है, को छोड़कर शेष अध्यापकों को प्रशिक्षित वेतनमान दिये जाने के प्रस्ताव पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित अप्रशिक्षित अध्यापकों जिन्होंने द्विवर्षीय पत्राचार बी0टी0सी0 प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया है, को प्रमाण–पत्र

Sushil GO

निर्गत किये जाने की तिथि से नियमानुसार प्रशिक्षित वेतनमान दिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:–

क्र. सं.	जनपद का नाम	विद्यालय का नाम	अध्यापक का नाम	प्रशिक्षण पूर्ण किये जाने की तिथि
1	2	3	4	5
1	देवरिया	1–अनु0जा0प्रा0पा0 मुसैलाबुर्जग, देवरिया।	1–श्री शिवदत्त प्रसाद 2–श्री श्याम कुमार 3–श्री कृष्ण बिहारी यादव	08.03.2016 09.07.2016 09.07.2016
		2– अनु0जा0प्रा0पा0 नीबी बरवा।	श्री सुखराम प्रसाद	08.03.2016
		3–अनु0जा0प्रा0पा0 महुआरी।	स्व0 श्रीमती श्याम सुन्दरी देवी	08.03.2016
2	कुशीनगर	अनु0प्रा0वि0 शंकरपट्टी फाजिलनगर, कुशीनगर।	मु0 गफफार	09.07.2016
3	आजमगढ़	1– प्रा0वि0 बाल विद्या मन्दिर मेह नगर आजमगढ़।	श्रीमती कुमकुमलता दूबे	21.11.2016
		2– प्रा0वि0अनु0क0प्रा0पा0 बजीरमलपुर।	श्रीमती आशा देवी	21.11.2016
		3– अनु0प्रा0पा0 डोडोपुर।	1– श्री विनोद कुमार 2– श्री त्रिपुरारी प्रसाद	21.11.2016 21.11.2016
		4– श्री दुर्गा जी, स0क0, प्रा0पा0 खैरारानीकी सराय।	श्रीमती श्यामप्यारी	09.07.2016
		5– प्रा0पा0 कटता भकुही आजमगढ़।	श्री विजय बहादुर यादव	21.11.2016
		6– प्रा0वि0 हरिजन बाल विद्या मन्दिर सैदपुर, आजमगढ़।	श्रीमती सावित्री देवी	21.11.2016

भवदीया,

(सुधा श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

संख्या–   (1)/26–2–2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि जिला समाज कल्याण अधिकारी, देवरिया, कुशीनग एवं आजमगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(सुधा श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

Sushil GO